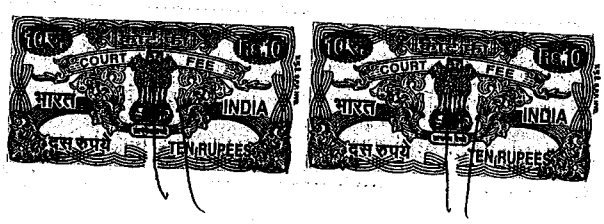

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१३ निगरानी — R-1346-I/13

०१. प्रलादसिंह पिता रामचन्द्र उम्र ५० साल
०२. महेन्द्रसिंह पिता रामचन्द्र उम्र ४४ साल
०३. योगेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह उम्र ३५ साल समस्त बजीरपुरा शाजापुर जिला शाजापुर (म०प्र०)

.........आवेदकगण

विरूद्ध

०१. अनोखीलाल पिता बाबुलाल निवासी महुपुरा जिला शाजापुर (म०प्र०)
०२. म०प्र०शासन द्वारा तहसीलदार महोदय जिला शाजापुर (म०प्र०)

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील व जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक ०८/अ-१२/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक ०३/०३/१३ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

०२. यह कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी मौजा द्वारा जो सीमांकन किया गया उसमें अनावेदक की भूमि का नक्षा स्पष्ट नहीं है उसके उपरांत भी अस्पष्ट नक्षे के आधार पर सीमांकन किया गया जबकि यह संभव नही नहीं है इसके उपरांत भी सीमांकन करने में अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की है।

०३. यह कि, अनावेदक की सम्पूर्ण भूमि चिल्लर डेम से निकली नहर तथा रेल्वे लाईन में आ चुकी है मौके पर अनावेदक की कोई भूमि नहीं है उसके उपरांत भी सीमांकन कर आवेदकगण की भूमि में उनकी भूमि बताए जाने में त्रुटि की है।

०४. यह कि, अनावेदक की भूमि नहर तथा रेल्वे लाईन में चले जाने के पश्चात राजस्व निरीक्षक ने उसका कोई इन्द्राज नहीं किया व राजस्व रिकार्ड में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला शाजापुर

प्रकरण कमांक निगरानी 1346–एक/2013

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्ष
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार शाजापुर के प्रकरण कमांक 8/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 03–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र देने पर सीमांकन हेतु आवेदन पत्र देने पर सीमांकन किया परन्तु आवेदक को सीमावर्ती कृषक होने पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक की सम्पूर्ण भूमि चिल्ल डेम से किली हर तथा रेल्वे लाईन में आ चुकी है मौके पर अनावेदक की कोई भूमि नहीं है। उसके उपरांत भी अनावेदक की भूमि का सीमांकन कर आवेदकगण की भूमि में उनकी भूमि बताए जाने में त्रुटि की है। तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया गया। 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 452/1 एवं 452/3 के खसरे में अनोखीलाल के	

नाम होने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई है। आवेदक अपने तर्क के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके कि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 452/1 एवं 452/3 नर अथवा रेल्वे लाईन में चली गई है। सर्वे कमांक 452 का बटांकन नहीं होने से आवेदक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि वे सीमांकित भूमि के सीमावर्ती थे। प्रकरण में संलग्ल सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को विधिवत सूचना जारी की गई है और सूचना पत्र पर आवेदक कमांक 2 एवं 3 के हस्ताक्षर हैं। अतः यह नहीं कहा सकता कि आवेदकगण को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई। आवेदकगण को सीमांकन की सूचना होने के बावजूद भी उनके द्वारा तहसील न्यायालय में किसी प्रकार कोई आपत्ति किया जाना भी अभिलेख से परिलक्षित नहीं है। यदि आवेदकगण चाहें तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के स्वतंत्र है। जहां तक राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में अनावेदक की भूमि पर आवेदक योगेन्द्रसिंह का कब्जा बताने का तर्क का प्रश्न है सीमांकन के समय आवेदक योगेन्द्र सिंह ने अनावेदक की स्वयं का कब्जा होना बताया है जबकि राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन में भूमि मौके पर पड़त होने का उल्लेख किया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि पड़त भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा उसे हटाने की कार्यवाही की जा रही है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की

आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य